निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 11/अपील/17 तारीख दायरा 08.06.2017

उनवान अपील

01.दुर्गीबाई बेवा दुर्गालाल आयु 55 वर्ष जाति दांगी नि0 ग्राम सुवॅास तहसील पिड़ावा
02.पूजा कुमारी पुत्री दुर्गालाल आयु 32 वर्ष जाति दांगी नि0 ग्राम सुवॅास तहसील पिड़ावा
03.बाबुलाल पुत्र दुर्गालाल आयु 26 वर्ष जाति दांगी नि0 ग्राम सुवॅास तहसील पिड़ावा
(अपीलान्ट्स)

बनाम

01. नन्दुबाई पुत्री कालू जी पत्नि प्रभूलाल जाति दांगी नि0 सुवॅास हाल आजमपुर तहसील पिड़ावा
02. जगन्नाथ पुत्र कालू जी जाति दांगी नि0 सुवॅास तहसील पिड़ावा
03. नन्दुबाई बेवा कालू जी जाति दांगी नि0 सुवॅास तहसील पिड़ावा
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा (रेस्पो0)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू राजस्व संहिता वास्ते निरस्त किये जाने नामान्तरण संख्या 914 दिनांक 14.07.2016 ग्राम सुवॅास तहसील पिड़ावा

उपस्थितः– श्री धमेन्द्र सिंह झाला अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री अजीत सिह झाला अभिभाषक रेस्पो0 1 लगायत 3 की और से
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांकः 08.05.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 14.07.2016 जिसके द्वारा ग्राम सुवॅास तहसील पिड़ावा का नामान्तरण संख्या 914 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकन किया है कि ग्राम सुवॅास की आराजी खाता संख्या नया–59 पुराना–52 कुल खसरा किता 9 रकबा 34 बीघा 19 बिस्वा जिसमे 1/2 भाग कालू जी के वारिसान के खातेदारी में दर्ज है । कालूजी की मृत्यु होने पर विरासत का इन्तकाल संख्या 114 दिनांक 12.06.81 के अनुसार वारिसान में जगन्नाथ,दुर्गीलाल व दो बेवा रूपा बाई व नन्दुबाई के नाम दर्ज हुआ पुत्रीयों ने अपना नाम दर्ज नही करवाया। बेवा नन्दूबाई दूसरी पत्नी है जो हिन्दु विवाह अधिनियम,हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की रोशनी में वैध वारीसान नही होने पर भी उनका नाम दर्ज किया गया है जो गलत,अशुद्ध प्रकिया है। । रूपा बाई बेवा कालू जो कालू जी की वैध प्रथम पत्नी है उनकी मृत्यु होने पर इन्तकाल संख्या 914 के द्वारा रूपाबाई के स्थान पर नन्दुबाई (पुत्री) का नाम दर्ज हेा गया है। जो विधि विरूद्ध एंव विरासत शजरा के अनुसार गलत होने से निरस्त योग्य है। मृतक रूपाबाई कालूजी की बेवा होने से उनका वारिसान में नाम बैवा के रूप में दर्ज हुआ है। कालूजी के दो पुत्र जगन्नाथ व दुर्गालाल(मृतक) अपीलान्ट्स के पिता/पति है व कालू जी की तीन पुत्रीया कलावती बाई,सोहनबाई,नन्दु बाई है।मौके पर आराजी 1/2 भाग अर्थात 17 बीघा 09 बिस्वा का 1/2 भाग अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त में चला आ रहा है। मृतक रूपाबाई के स्थान पर मात्र नन्दुबाई के नाम से विधि विरूद्ध प्रकिया अपनाते हुए नामान्तरण संख्या 914 दर्ज किया है मृतक के वैध वारीसान में अपीलान्ट्स भी हक हिस्सेदार होने से नाम दर्ज होने के अधिकारी हैं। रेस्पो0 सख्या 1 नन्दुबाई कालूजी की मृत्यु के समय नामान्तरण संख्या 114 दर्ज होने पर अपना हक त्याग चुकी है इस कारण रूपा बाई की मृत्युं होने पर उनका नाम नामान्तरण संख्या 914 दर्ज होना विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार कर ग्राम सुवॅास का नामान्तरण संख्या 914 निरस्त कर उचित जॉच हेतु तहसीलदार पिड़ावा को पुनःनामान्तरण दर्ज करने हेतु भिजवाने का अनुरोध किया गया ।

जिला कलक्टर
झालावाड़

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 1 लगायत 3 की और से अभिभाषक श्री अजीतसिंह झाला का वकालतनामा पेश हुआ व उपस्थित हुए ।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि तहसीलदार पिड़ावा द्वारा ग्राम सुवॉस का नामान्तरण संख्या 914 गलत तस्दीक किया गया है। कालूजी की मृत्यु होने पर विरासत का इन्तकाल संख्या 114 दिनांक 12.06.81 के अनुसार वारिसान में जगन्नाथ,दुर्गालाल व दो बेवा रूपा बाई व नन्दुबाई के नाम दर्ज हुआ पुत्रीयों ने अपना नाम दर्ज नही करवाया। बेवा नन्दूबाई दूसरी पत्नी है जो हिन्दु विवाह अधिनियम,हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की रोशनी में वैध वारीसान नही होने पर भी उनका नाम दर्ज किया गया है जो गलत,अशुद्ध प्रकिया है। रूपा बाई बैवा कालू जो कालू जी की वैध प्रथम पत्नी है उनकी मृत्यु होने पर इन्तकाल संख्या 914 के द्वारा रूपाबाई के स्थान पर नन्दुबाई (पुत्री) का नाम दर्ज हे गया है। जो विधि विरूद्ध एंव विरासत शजरा के अनुसार गलत होने से निरस्त योग्य है। मृतक रूपाबाई कालूजी की बेवा होने से उनका वारिसान में नाम बैवा के रूप में दर्ज हुआ है। कालूजी के दो पुत्र जगन्नाथ व दुर्गालाल(मृतक) अपीलान्ट्स के पिता/पति है व कालू जी की तीन पुत्रींया कलावती बाई,सोहनबाई,नन्दु बाई है।मौके पर आराजी 1/2 भाग अर्थात 17 बीघा 09 बिस्वा का 1/2 भाग अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त में चला आ रहा है। मृतक रूपाबाई के स्थान पर मात्र नन्दुबाई के नाम से विधि विरूद्ध प्रकिया अपनाते हुए नामान्तरण संख्या 914 दर्ज किया है मृतक के वैध वारीसान में अपीलान्ट्स भी हक हिस्सेदार होने से नाम दर्ज होने के अधिकारी हैं। रेस्पो0 सख्या 1 नन्दुबाई कालूजी की मृत्यु के समय नामान्तरण संख्या 114 दर्ज होने पर अपना हक त्याग चुकी है इस कारण रूपा बाई की मृत्युं होने पर उनका नाम नामान्तरण संख्या 914 दर्ज होना विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार कर ग्राम सुवॉस का नामान्तरण संख्या 914 निरस्त किया जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया कि तत्समय हल्का पटवारी द्वारा बाद जांच रिपोर्ट प्रस्तुत क़ी जाने पर इन्तकाल जैर अपील तस्दीक किया गया है जो विधिनुरूप सही है । इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि तत्समय बाद जांच रिपोर्ट पटवारी अनुसार नामान्तरण तस्दीक किया गया है जो विधिनुरूप है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह तो जाहिर है कि मृतक रूपाबाई की मृत्यु उपरान्त ग्राम सुवॉस का नामान्तरण संख्या 914 तस्दीक किया गया वह रूपाबाई के स्थान पर मात्र नन्दुबाई जो कालूजी की पुत्री है उसमें रूपाबाई के हिस्से का नामान्तरण तस्दीक किया गया है जबकि पूर्व से ही उक्त नामान्तरण में कालूजी के वारिसान का नाम दर्ज है। फिर क्यों कर रूपाबाई की मृत्यु उपरान्त उनके हिस्से की आराजी का नामान्तरण मात्र पुत्री नन्दुबाई के नाम तस्दीक किया गया समझ से परे है। प्रकरण में अनियमितता किया जाना जाहिर होने से प्रकरण में पुनः जांच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार तहसील पिड़ावा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम सुवॉस के खोले गये नामान्तरण संख्या 914 के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में नियमानुसार विस्तृत जांच करें । बाद जांच विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया अपनाकर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नियमों के परीपेक्ष्य में नवीन नामान्तरण तस्दीक करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालानार्थ तहसीलदार पिड़ावा को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड़